

न्यायालय

हरिमिंद

बनाम

कन्हैयालाल

किस्म मुकदमा

मु. नं. 56/2012

वर्ष

दिनांक

आज्ञा-पत्र

22/8/2022

पत्नी पति की न्यायवादी  
व्यापक स्वतंत्र - सामान्य कामकाज तक  
बार-बार कोषाज लगायत के बाधक  
दाखिल नहीं आते पत्नी अथवा दाखिली  
व अथवा पति के अथवा अथवा माता की  
पत्नी केवल सुमार धोकर नष्ट के  
अथवा दाखिल पत्र के